न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 30/2018
दायर दिनांक : 29/10/2018
आदेश दिनांक : 23.12.2022

1. श्री अभयसिंह पिता श्री खुमाणसिंह राजपूत नि. सालमपुरा तहसील व जिला राजसमंद
2. श्री गोर्वधनसिंह पिता श्री खुमाणसिंह राजपूत नि. सालमपुरा तहसील व जिला राजसमंद

— प्रार्थी

:: बनाम ::

1. सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 3014 (अ)/ दिनांक 04.10.2013/22.04.2015

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद की आराजी संख्या 993 रकबा 0.0720 हेक्टयर व आराजी संख्या 991 रकबा 0.2097 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया। प्रस्तावित अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 200/— रू. प्रति वर्गफीट से अधिक है। जबकि भूमि का मुआवजा मात्र 15,56,139/—रूपये तय किया गया है जो कि 552/—रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है जबकि अवाप्त की गई उक्त 720 व 2097 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 200/— रू. प्रति वर्गफीट देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थी से लगती हुई भूमि का भूखण्ड 1500/—रू. प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय किया था न ही दिनांक 28.12.2012 से ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज एवं Solatium राशि देय होती है जो भी अदा

नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा मनमकसूद तरीके से तय कर देरी से अदा किया है। प्रार्थी की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है लेकिन मुआवजा मात्र 15,56,139/– रूपये ही तय किया गया जो अभी तक अदा नहीं किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 200/– प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि का बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। जबकि इससे लगती हुई भूमि 1500/–रू. प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय की गई है। प्रार्थी का मुआवजा कम दर से तय किया गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की ज़ा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान की जा चुकी है, प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से भुगतान चाहता है, जबकि निर्धारित डी.एल.सी. दर से भुगतान का प्रावधान है। विपक्षी द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा चुकी है, किंतु प्रार्थी द्वारा अब तक भुगतान पत्रादि पेश न करने से शेष मुआवजा राशि अदा करना अवशेष है। विपक्षी ने डीएलसी दर के अनुसार कब्जा प्राप्ति के तुरंत पश्चात भुगतान हेतु अवार्ड जारी कर दिया है। प्रार्थी को अब कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं है एवं भूमि अवाप्ति की सारी कार्यवाही विधिवत एवं नियमानुसार की गई है।

विपक्षी संख्या 2 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 28.12.2012 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3014 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के रा.रा.संख्या 758 के 00.000 कि.मी. से 30.000 किमी (भीलवाडा–राजसमंद सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम जावद तहसील राजसमंद के खातेदार **गोवर्धन सिंह, शिवसिंह, अभयसिंह, इन्दर कुंवर, रेशम कुंवर, लहर कुंवर, टीपू कुंवर पिता खुमाण सिंह 9/10 श्री जालम सिंह पिता खुमाण सिंह 4/165 राजपूत गुलाबी देवी पत्नी सत्यनारायण पालीवाल ब्राह्मण 5/66 सा. देह खातेदार** के स्वामित्व की भूमि **खसरा नं. 993 किस्म चाही 1, जाव 1, बीड़ 1 रकबा 0.0720 है, खसरा नं. 991 किस्म चाही 1, जाव 1 चट्टान रकबा 0.2097 है** भूमि बाबत् अवाप्ति की कार्यवाही की गई है, जो भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है। कलम संख्या 03, 04, 05

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो का जवाब इस प्रकार है कि सक्षम प्राधिकारीजी ने उक्त अवाप्तशुदा रकबा का **15,56,139/–रू** बाबत् प्रचलित बाजार दर अनुसार दिनांक 22.04.2015 को अवार्ड जारी किया था तत्पश्चात् **RFCCTLARR Act 2013** में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 30.10.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। लेकिन पूर्व में पारित अवार्ड दिनांक 22.04.15 बाबत् जवाबदाता की ओर से दिनांक 05.09.2014 को ही राशि प्रेषित कर दी है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित रिट पीटिशन नम्बर 12746/2017 गोपाराम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वगैराह व अन्य पीटिशनों में पारित निर्णय अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में संशोधित अवार्ड राशि देय नहीं है। हितबद्ध व्यक्तियो के पक्ष में दिनांक 22.04.2015 को अवार्ड जारी कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा सड़क का उपयोग करने पर आम आदमी की भांति टोलशुल्क अदा करना होगा। अवाप्तशुदा भूमि बाबत दिनांक 30.10.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया है, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No. 12746/17 व अन्य पीटिशनों में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 के अनुसार संशोधित अवार्ड की राशि देय नहीं है। प्रार्थीगण ने जिस अनुतोष की प्रार्थना की है, वह गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अवाप्तशुदा भूमि के शेष हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि बाबत अवार्ड जारी कर दिया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं, जिससे प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा जारी की जाकर विपक्षीगण द्वारा अदायगी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने हस्तगत उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी होते हुए भी विलंब से प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज योग्य होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद की आराजी संख्या 993 रकबा 0.0720 हेक्टयर भूमि किस्म चाही 1, जाव.1 एवं बीड़ 1, व आराजी संख्या 991 रकबा 0.2097 हेक्टेयर भूमि किस्म चाही 1, जाव 1, चट्टान 1 का मुआवजा अवार्ड–अधि.सू.क्रमांकः 3014 (अ) दि. 04.10.2013 के तहत दिनांक 22.04.2015 से हितबद्ध खातेदारो को भुगतान के लिये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। खातेदार श्री अभयसिंह को अवाप्त भूमि खसरा नं. 991 की राशि 311228/–रू. एवं श्री गोर्वधन सिंह उर्फ भंवर सिंह को राशि 311228/– रू. भुगतान वाऊचर्स अवार्ड पत्रावली की क्रम सं. 19 एवं 43 पर संलग्न है परंतु अवाप्त भूमि खसरा नं. 993 की राशि भुगतान संबंधी क्र.सं. 25 पर श्री अभयसिंह क्र.सं. 50 पर श्री गोर्वधन सिंह को राशि भुगतान संबंधी वाऊचर्स में राशि का उल्लेख नही होकर भुगतान वाऊचर्स रिक्त है। उक्त प्रकरण में भूमि अवाप्ति का मुआवजा दिनांक 28.12.2012 की

कार्यालय जिला कलक्टर

प्रचलित दरों पर निर्धारित किया जाकर मुआवजा राशि दिनांक 22.04.2015 को स्वीकृत की गई है। प्रकरण में नियमानुसार ब्याज राशि नहीं दी जाने से श्री अभयसिंह एवं श्री गोर्वधन सिंह का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विपक्षी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा साक्ष्य सबुत के साथ प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज के आधार पर धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सपठित द राईट टु फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेसन्सी इन लेण्ड एक्वीजीशन रिहेबिलीटेशन एण्ड रि सेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFCTLARR ACT 2013) व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)